



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 436 राँची, सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (श०)
10 अगस्त, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 फरवरी, 2026

आरोप-11-02/2026 का० 615--झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-155, दिनांक-10.01.2026 के माध्यम से भ०नि०ब्यूरो, प्रमण्डलीय कार्यालय, धनबाद के पत्रांक-65/अप०, दिनांक-10.01.2026 में अंकित है कि निगरानी थाना कांड संख्या- 32/2016, दिनांक-21.04.2016, धारा-406/409/419/420/423/424/467/468/471/120 (B)/34 भा०द०वि० एवं धारा-3(I)(V)/4 SC/ST Act 1989 एवं धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(c) एवं 13(1)(d) भ०नि० अधिनियम, 1988 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री विशाल कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद सम्प्रति- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को काण्ड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक-09.01.2026 का गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की सूचना दी गयी है ।

2. अतः श्री विशाल कुमार, झा०प्र०से० (को०क्र0-234/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद सम्प्रति-परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत दिनांक-09.01.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. श्री विशाल कुमार को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 10 के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्री विशाल कुमार कारावास में जाते समय पदस्थापित थे ।

4. हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री विशाल कुमार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
